

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप-5)विभाग

क्रमांक:प.1(16)साप्र/5/09 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 11-11-013

आदेश

दिनांक 7.10.2013 को प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में हुई बैठक के निर्णयानुसार इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11.2.2013 एवं 23.7.2013 के अधिक्रमण में निम्नलिखित व्यवस्था की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. नई दिल्ली स्थित राजस्थान हाउस एवं जोधपुर हाउस में समस्त प्रकार के छोटी मरम्मत एवं बड़े सभी कार्य पुनः सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ही कराये जावें ।
2. राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में पूर्व निर्धारित व्यवस्था अनुसार छोटे मरम्मत कार्य प्रबन्धक स्तर पर तथा अन्य कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग पर कराये जावें ।
3. राजस्थान स्थित सभी संभागीय मुख्यालयों के विश्राम भवनों में भी पूर्व अनुसार छोटे मरम्मत आदि कार्य विश्राम भवन, प्रबन्धक के स्तर से एवं शेष कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग स्तर पर कराये जावें ।
4. संभागीय मुख्यालयों के अतिरिक्त जिला मुख्यालय स्थित विश्राम भवन, माउण्ट आबू एवं अन्य सभी विश्राम भवनों हेतु सभी प्रकार के मरम्मत एवं अन्य कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ही कराये जावेंगे ।

शेष शर्तें यथावत लागू रहेगी ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजीव जैन)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान ।
2. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग ।
5. प्रबन्धक, समस्त विश्राम भवन, राजस्थान को प्रेषित कर निर्देशानुसार लेख है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाये जाने वाले कार्यों की भौतिक प्रगति की समीक्षा हेतु किये गये कार्यों की प्रगति से प्रतिमाह प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि. को अवगत कराने का श्रम करें ।
6. प्रबन्धक, राजस्थान हाउस/जोधपुर हाउस/राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली ।
7. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त शासन सचिव